प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 25.10.2024

लूट का अपराध कारित करने के आरोप में 5000 रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा लूट के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक शाहपुर के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक रंजन द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 347/2024 धारा 392/411 भादवि से सम्बन्धित 5000 रूपये का ईनामिया अभियुक्त अमन बेग पुत्र स्व0 आफताब आलम निवासी तुर्कमानपुर (कुर्सी फैक्ट्री के सामने) थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 29/30.06.2024 को बिछिया पीएसी गेट के पास स्कूटी से 02 अज्ञात व्यक्ति वादिनी मुकदमा का मोबाइल फोन छीन लिये तथा भागने की हड़बड़ाहट में स्कूटी सवार दोनों व्यक्ति गिर गये जिसमें से 01 व्यक्ति को वादिनी मुकदमा द्वारा पकड़ कर थाना स्थानीय पर लाया गया था। जिसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए 01 नफर को लूट की मोबाइल व घटना में प्रयुक्त स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। उक्त मुकदमें से संबंधित वांछित अभियुक्त अमन बेग की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा 5000 रूपेय का ईनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमन बेग पुत्र स्व0 आफताब आलम निवासी तुर्कमानपुर (कुर्सी फैक्ट्री के सामने) थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 347/2024 धारा 392 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
मु0अ0स0 68/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. प्र0नि0 नीरज कुमार राय थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 विवेक रंजन थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 ओम प्रकाश थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. का0 गुलशन कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर